

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र

Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-18052026-272667
SG-DL-E-18052026-272667असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 135]	दिल्ली, सोमवार, मई 18, 2026/वैशाख 28, 1948	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 50
No. 135]	DELHI, MONDAY, MAY 18, 2026/VAISAKHA 28, 1948	[N. C. T. D. No. 50

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

विधि, न्याय और विधायी कार्य विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 18 मई, 2026

सं. फा. 1/11/2010—न्यायिक/अधि०न्या०/1713-1715.—उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, विनियम 1998 के विनियम 3 (3) के साथ पठित, विधिक सेवा प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2002 द्वारा यथासंशोधित विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 8क में निहित प्रावधान के अनुसरण में, माननीय मुख्य न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 22.09.2025 के आदेश द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के संबंध में मौजूदा मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल 26.09.2025 से अन्य एक वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दिया है।

क्र० सं०	मनोनीत सदस्य का नाम	किस श्रेणी/विनियम के अन्तर्गत नियुक्त किया गया
1	श्री अशोक कुमार, कार्यकारी निदेशक, डॉ. ए.वी. बालिगा मेमोरियल ट्रस्ट	विनियमों की श्रेणी 3(3)(क) के अंतर्गत
2	सुश्री रेबिका एम. जॉन, वरिष्ठ अधिवक्ता	विनियमों की श्रेणी 3(3)(ख) के अंतर्गत

3	डॉ. जितेंद्र नागपाल, वरिष्ठ परामर्शदाता-मानसिक स्वास्थ्य, मूलचंद मेडिसिटी	विनियमों की श्रेणी 3(3)(ग) के अंतर्गत
4	प्रो. (डॉ.) जी.एस. बाजपेयी, कुलपति एवं विधि प्रोफेसर, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, दिल्ली	विनियमों की श्रेणी 3(3)(घ) के अंतर्गत

मानीय मुख्य न्यायाधीश दिल्ली उच्च न्यायालय
नई दिल्ली के आदेश से तथा उनके नाम पर,
रीतेश सिंह, प्रधान सचिव

DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS

NOTIFICATION

Delhi, the 18th May, 2026

No. F. 1/11/2010-Judl./1713-1715.—In pursuance to the provision contained in Section 8A of Legal Services Authorities Act, 1987, as amended by Legal Services Authorities (Amendment) Act, 2002 read with Regulations 3 (3) of High Court Legal Service Committee, Regulations 1998, the Hon'ble Chief Justice, High Court of Delhi vide order dated 22.09.2025 has been pleased to extend the term of existing nominated Members for another period of one year w.e.f. 26.09.2025 in respect of Delhi High Court Legal Services Committee.

S. No.	Name of Nominated Member	Category/Regulation under which appointed
1.	Mr. Ashok Kumar, Executive Director, Dr. A. V. Baliga Memorial Trust	Under Category 3 (3) (a) of the Regulations.
2.	Ms. Rebecca M. John, Senior Advocate	Under Category 3 (3) (b) of the Regulations.
3.	Dr. Jitendra Nagpal, Senior Consultant-Mental Health, Moolchand Medicity	Under Category 3 (3) (c) of the Regulations.
4.	Prof. (Dr.) G.S. Bajpai, Vice Chancellor and Professor of Law, National Law University, Delhi	Under Category 3 (3) (d) of the Regulations.

By Orders of Hon'ble Chief Justice,
High Court of Delhi, New Delhi,

REETESH SINGH, Principal Secy.